अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

उगमाराम बनाम अमराराम

तारीख पेशी	2021/00107 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री जी0एस0लखावत, अधि0 श्री	नंबर व तारीख अहकाम की तामील जारी हुए
05.07.2021	पत्रावली पेश हुई । विद्वान अभिभाषक अपीलांट की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अपीलाटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश कर स्वंय की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 470 रकबा 0.6354 है0 एवं 566/471 रकबा 0.3966 है0 भूमि के खातेदार काश्तकार अपीलांटस है । अपीलांटस की खातेदारी आराजियात में आवागमन हेतु वर्तमान में कोई रास्ता नहीं है जिससे अपीलांटस को कृषि सामग्री व यंत्र लाने ले जाने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है । अपीलांटस की आराजी के पूर्व से दक्षिण दिशा की तरफ ग्राम पंचायत भैरूखेड़ा की आराजी खसरा संख्या 587/474 रकबा 1.2141 है0 किस्म दांती भूमि स्थित है जिसके आगे आम सड़क चली आ रही है । उक्त आराजी से अपीलांटस व उनके परिवारजन अपने खेतों में आने जाने व काश्त करने के लिये आते जाते रहे है लेकिन वर्तमान में उक्त रास्ता रिकार्ड में दर्ज नहीं होने से उक्त आराजियात पर रेस्पो0 द्वारा मौके पर निर्माण कर अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है । अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांटस के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर 30 फीट रास्ते के बजाय 10 फीट के रास्ते के आदेश पारित किये गये है जबकि 10 फीट के रास्ते में कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिये संकरा रास्ता है । अप्रार्थीगण के अधी0न्याया0 के आदेश की आड़ में विवादित आराजियात पर अतिक्रमण करने पर आमादा है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को अपील के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । हमनें विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया । अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष स्वंय की खातेदारी आराजियात में रास्ते हेतु आवेदन किये जाने पर अधी0न्याया0 ने 10 फीट रास्ते के आदेश प्रदान किये है । अपीलांटस ने 10 फीट का रास्ता संकरा होने से कृषि यंत्रों को लाने ले जाने में कठिनाई होने का कथन किया है । हम न्यायहित में पक्षकारान के समय एवं आर्थिक मितव्ययता को ध्यान में रखते हुए प्रकरण को इसी स्तर पर अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि मौके पर उपलब्धता अनुसार रास्ते के संबंध में यथोचित नियमानुसार संशोधित आदेश पारित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । आदेश आज दिनांक 05.07.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । (मेघना चौधरी) राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	